कार्यालय मुख्य नगर लेखा परीक्षक, नगर निगम गाजियाबाद

पत्रांक :–32/डी/मु0न0ले0परी0/2020–21 | दिनांक :– 01/03/2021

सेवा में,

अपर नगर आयुक्त/सदन सचिव
गाजियाबाद नगर निगम।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लेखों की वार्षिक सम्परीक्षा एवं निरीक्षण रिपोर्ट (2019–2020) एवं पुनरीक्षित बजट (2020–21) समीक्षा रिपोर्ट इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि संलग्न रिपोर्ट को माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद

O/C

Rozia Begum
(लेखा परीक्षक)

कार्यालय मुख्य नगर लेखा परीक्षक, नगर निगम गाजियाबाद

दिनांक :– 01/03/2021

पत्रांक :– 32/ST/ मु0न0ले0परी0 / 2020–21

पुनरीक्षित बजट (2020–2021) समीक्षा रिपोर्ट

सम्परीक्षा की अवधि 01–04–2020 से 31–01–2021 तक।

सम्परीक्षा में पाई गई आपत्तियों का विवरणः–

1. **विभिन्न करों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही न करने से राजस्व की क्षतिः–** आलोच्य वर्ष 2020–21 में 01.04.2020 से 31.01.2021 तक राजस्व करों की वसूली का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	कर का विवरण	बजट के अनुसार अनुमानित आय (01.04.2020 से 31.01.2021)	वर्ष (2020–2021) की वास्तविक आय (31.01.2021 तक)	कम आय	कमी का प्रतिशत
1	गृहकर	62,50,00,000	44,37,36,117	18,12,63,883	29%
2	जलकर	37,50,00,000	34,69,29,776	2,80,70,224	7%
3	सीवरकर	20,83,33,333	16,14,04,178	4,69,29,155	23%
4	अन्य कर	16,66,66,667	63,66,976	16,02,99,691	96%
5	विज्ञापन कर	8,33,33,333	30,38,195	8,02,95,138	96%
6	प्रेक्षा कर	16,66,667	3,91,680	12,74,987	76%

टिप्पणीः–

1. समस्त जोन की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत करके गृह कर, जल कर, एवं सीवर कर की मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।
2. कर निर्धारण सूची प्रस्तुत करके उपर्युक्त मांग का सत्यापन कराया जाए।
3. उपर्युक्त विवरण के अनुसार वसूली की स्थिति अत्यन्त ही कम है। इसके बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाए।
4. लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी स्पष्ट किया जाए।
5. नगर निगम सीमा में कुल कितने प्रेक्षा गृह है। वित्तीय वर्ष(2020–21) की अवधि (01.04.2020 से 31.01.2021) में उनसे प्राप्त आय की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत की जाए।
6. विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों की नाम परिवर्तन पत्रावली प्रस्तुत की जाए।
7. Tax Assesment Register विभाग द्वारा तैयार नहीं किया गया है। उसे तैयार करके सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए।

1. **लाइसेंस का नवीनीकरण न करने/लाइसेंस न बनाने से आर्थिक क्षतिः–**

    1. पुनरीक्षित बजट (2020–2021) में सामान्य लाइसेंस की प्रस्तावित आय रू0 83,33,333 थी तथा 31 जनवरी 2021 तक रू0 18,53,778 आय प्राप्त हुई। अतः रू0 64,79,555 कम आय प्राप्त हुई। अनुमानित आय से 78 प्रतिशत कम आय प्राप्त होना अत्यत असंतोषजनक है। इसे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाए।
    2. लाइसेंस में कुल कितनी मदें शामिल हैं?
    3. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के मूल बजट में लाइसेंस में रू0 1,50,00,000 की आय प्रस्तावित थी जिसे पुनरीक्षित बजट में रू0 1,00,00,000 कर दिया गया। आय कम किए जाने का आधार स्पष्ट किया जाए।
    4. लाइसेंस पंजी प्रस्तुत करके वर्ष (2020–2021) में बने लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन कराया जाए।
    5. लाइसेंस की वसूली की स्थिति अत्यन्त कम है इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से भी सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।
    6. लाइसेंस से सम्बन्धित बाय लाज (उप विधि) प्रस्तुत करके विभिन्न मदों के लाइसेंस बनाने या न बनाने की स्थिति स्पष्ट करें।
    7. स्वास्थ्य विभाग किन–किन मदों यथा शराब की दुकाने, होटल, बारात घर तथा नर्सिंग होम आदि मदों में से वर्ष 2020–2021 में कितनी मदों का लाइसेंस जारी किया गया, सूची उपलब्ध कराई जाए।
    8. स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न मदों से वित्तीय वर्ष 2020–2021 की अवधि (01.04.2020 से 31.01.2021 तक) कितनी आय प्राप्त हुई? आपत्ति के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4. **पार्किंग की समुचित वसूली न करने से आर्थिक क्षतिः–**

    1. आलोच्य वर्ष के पुनरीक्षित बजट में रू0 1,25,00,000/– की अनुमानित आय के सापेक्ष वास्तविक आय (31 जनवरी 2021 तक) रू0 10,90,569/– प्राप्त हुई। इस प्रकार रू0 1,14,09,431/– कम आय हुई है। 91% कम आय हुई। यह स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है तथा निगम के आर्थिक हितों के विरूद्ध है।
    2. 01.04.2020 से 31.01.2021 तक दिये गये पार्किंग का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
    3. उन स्थानों का विवरण जहां 31.03.2020 तक पार्किंग थी परन्तु 01.04.2020 से 31.01.2021 तक पार्किंग नही दी गई है। कारण स्पष्ट किया जाए तथा कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया जाए।
    4. वर्ष 2020–21 में मूल बजट में प्रस्तावित आय रू0 5,00,00,000 थी जबकि पुनरीक्षित बजट में रू0 1,50,00,000 कर दी गई। बजट में प्रस्तावित आय दर्शाय जाने का औचित्य आधार स्पष्ट किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनमाने ढंग से आय दर्शायी जाती है यह उचित नही है।

5. ठेके के अन्य मद में 79,290 की आय दर्शायी गई है। इसका विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए साथ ही वर्ष 2020–21 में प्रस्तावित आय रू0 10,00,000 जबकि पुनरीक्षित में रू0 5,00,000 दर्शाया गया है। बजट में प्रस्तावित आय दर्शाय जाने का औचित्य/आधार स्पष्ट किया जाए।
6. पार्किंग एवं विज्ञापन की E.tendering तुरन्त होनी चाहिए।

क्र0सं0	मद का नाम	अनुमानित आय (01.04.2020 से 31.01.2021)	वास्तविक आय (31.01.2021 तक)	आय में कमी	कमी की प्रतिशत
1	भवन एवं दुकान	1,66,66,667	1,10,61,874	56,04,793	34%
2	अस्थायी प्रयोग भूमि	37,50,000	25,86,529	11,63,471	31%
3	तरणताल	54,16,667	0	54,16,667	100%

टिप्पणी:–

1. दुकानों के नवीनीकरण से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया जाए।
2. भवन एव दुकानों की सम्पत्ति पंजी प्रस्तुत करके उनके आबंटन तथा किराया का सत्यापन कराया जाए।
3. आवासीय भवनों के आबंटन का विवरण प्रस्तुत किया जाए साथ ही नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के आबंटन का विवरण तथा उनसे वसूल किये गये किरायों का सत्यापन कराया जाए।
4. जो कर्मचारी/अधिकारी नगर निगम से सेवानिवृत्त हो गए अथवा नगर निगम में कार्यरत नही हैं आवंटित किया गया है, का विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा उनके किराये की मांग वसूली तथा बकाया का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
5. नगर निगम सीमांतर्गत कुल कितने तरणताल हैं उपर्युक्त विवरण के अनुसार तरणताल से कोई आय नही प्राप्त हुई है जबकि पुनरीक्षित बजट अनुमान के अनुसार रू0 60,00,000 का प्रावधान था, कोई आय प्राप्त न होने का कारण स्पष्ट किया जाए।
6. भूमि के किराये एवं सामुदायिक केन्द्रो से होने वाली आय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं आय पुस्तिकायें सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाएं।

5. **पानी के टैंकर की मांग वसूली पंजी:–**

1. 31.01.2021 तक पानी के टैंकर से रू0 3,00,300 की आय दर्शायी गयी है। पानी के टैंकर की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत करके प्राप्त आय का सत्यापन कराया जाए तथा आय बढ़ाने के प्रयास किया जाएं।
2. नगर निगम में कितने पानी के टैंकर हैं तथा उनसे किस दर पर किराया वसूल किया जा रहा है विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

6. **सीवर संयोजन से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः—**

1. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कहाँ—2 सीवर लाइन है तथा 31.03.2020 तक कहाँ—कहाँ सीवर लाइन थी और 01.04.2020 से 31.01.2021 तक कितनी सीवर लाइन की वृद्धि हुई विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
2. नगर निगम सीमा में बहुमंजली भवनों में कहाँ—2 सीवर लाइन है विवरण प्रस्तुत कर मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।

7. **जल संयोजन से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः—**

1. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कहाँ—2 जल संयोजन है तथा 31.03.2020 तक कहाँ—कहाँ जल संयोजन था और 01.04.2020 से 31.01.2021 तक कितने जल संयोजन की वृद्धि हुई विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
2. नगर निगम सीमा में बहुमंजली भवनों में कहाँ—2 जल संयोजन है विवरण प्रस्तुत कर मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।
3. 01.04.2020 से 31.01.2021 तक रू0 4,29,891 आय प्राप्त हुई थी। जल संयोजन पंजी प्रस्तुत कर प्राप्त आय का सत्यापन कराया जाए।
4. 01.04.2020 से 31.01.2021 तक रू0 458226 आय प्राप्त हुई थी। जल संयोजन पंजी प्रस्तुत कर प्राप्त आय का सत्यापन कराया जाए।
5. जल मूल्य का बाय लाज नही प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत किया जाए।
6. जल मूल्य से कोई आय प्राप्त नही हुई थी इससे आर्थिक क्षति हो रही हैं। इसे प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. वी.ए.टेक ववाग को मार्च माह में ही सीवर से सम्बन्धित अधिकांश कार्य शासन द्वारा हस्तगत कर दिए गए थे। इसके बावजूद जल विभाग द्वारा एजेंसियों के माध्यम से सीवर से सम्बन्धित अनेको कार्य कराए जा रहे हैं जिससे नगर निगम परं अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है।

8. **मेला हाट प्रदर्शनी से कोई आय प्राप्त न किया जाना अनियमितः—**

वर्ष 2020—2021 में पुनरीक्षित बजट में रू0 1,00,000 की आय दर्शायी गई थी जबकि में 31 जनवरी 2021 तक कोई आय प्राप्त नहीं की गई थी। कारण स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. **शुल्क मदः—** में अन्य आय के रूप में 31 जनवरी 2021 तक रू0 39,76,535 की आय दर्शायी गई थी, यह किस मद की आय थी। विवरण अंकित कर सत्यापन कराया जाए साथ ही मूल बजट व पुनरीक्षित बजट में रू0 1,00,00,000/— की आय प्रस्तावित थी जबकि 10 माह में मात्र रू0 39,76,535 की आय प्राप्त हुई थी। शेष दो माह में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं? सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।

10. **यूजर चार्जेज की मांग वसूली पंजी न बनाया जानाः–**

01.04.2020 से 31.01.2021 तक मात्र रू0 1,27,21,932 आय प्राप्त हुई थी। मांग वसूली पंजी बनाकर प्राप्त आय तथा बकाया आय का सत्यापन कराया जाए।

11. **विज्ञापन करः–**

    1. पुनरीक्षित बजट 2020–2021 में विज्ञापन कर से आय रू0 8,33,33,333 प्रस्तावित थी किन्तु 31 जनवरी 2021 तक मात्र रू0 30,38,195 ही प्राप्त हुए। इस प्रकार अनुमानित लक्ष्य से रू0 8,02,95,138 कम आय प्राप्त हुई जो कि 96% है। लक्ष्य से 96% कम आय प्राप्त होना असंतोषजनक है। आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
    2. गाजियाबाद शहर में विज्ञापन हेतु कौन–कौन सी एजेंसिया अधिकृत हैं। इन एजेंसियों के साथ हुए अनुबन्ध एवं बाय लाज सहित पत्रावलियां सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत करायी जाएं।

12. **चल अचल सम्पत्ति** का रजिस्टर सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इसे बनाकर प्रस्तुत किया जाए तथा नगर निगम की समस्त सम्पत्तियों का ब्योरा डिजिटाइज होना चाहिए
13. **नगर निगम की स्थायी भूमि** से किराया वसूली क्या है?
14. पुनरीक्षित बजट 2020–21 में किराये से रू0 3,17,00,000 प्रस्तावित आय थी लेकिन 31 जनवरी 2021 तक मात्र रू0 1,39,48,703 वास्तविक आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष में लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।
15. विक्रय से प्राप्त आय पुनरीक्षित बजट (2020–2021) के अनुसार 31 जनवरी 2021 तक रू0 32,64,909 हैं। इसमें क्या–क्या सम्मिलित किया गया है स्पष्ट किया जाए।
16. रोकड़ बही में मासिक बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था। इसे बनाकर सत्यापन कराया जाए।
17. 31.01.2021 को मासिक लेखा के अनुसार अन्तिम अवशेष रू0 3,03,49,56,466.84 था। बैंक पासबुक प्रस्तुत करके अन्तिम अवशेष का सत्यापन कराया जाए।
18. नगर परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नही बनाया गया है। इसे बनाकर सत्यापित कराया जाए।
19. लेनदारी एवं देनदारी का कोई स्पष्ट विवरण पुनरीक्षित बजट में नहीं दिया गया है।
20. कर्मचारी कल्याण निधि में विगत वर्ष भी कोई आय प्राप्त नही हुई और आलोच्य वर्ष में भी कोई आय प्राप्त नही हुई। जबकि वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित बजट में 5,00,00,000 की प्रस्तावित आय दर्शायी गई थी। आय दर्शाय जाने का आधार स्पष्ट किया जाए।
21. लेखा परीक्षा शुल्क रू0 50,00,000 व्यय के विवरण में दर्शाया गया है जबकि यह शासन द्वारा माफ किया जा चुका है। अतः इसे न दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अरुण कुमार सिंह
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
गाजियाबाद नगर निगम

नगर निगम गाजियाबाद

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20

उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 में वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन में प्रावधान है कि इस पर प्रकाश डाला जाए कि प्रतिवेदन में सामान्य और गम्भीर प्रकरणों में विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा नगर निगम की वित्तीय स्थिति का विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

1. **प्रशासनः–** आलोच्य वर्ष 2019–20 में दिनांक 18.02.2019 से 17.08.2020, तक श्री डा0 दिनेश चन्द्र सिंह (आई.ए.एस.) के द्वारा नगर निगम प्रशासन का संचालन किया गया। वर्तमान में श्री महेन्द्र सिंह तंवर (आई.ए.एस.) के द्वारा नगर निगम प्रशासन का संचालन किया जा रहा है।
2. **सम्परीक्षा विभागः–** आलोच्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक श्री अरूण कुमार सिंह, के द्वारा विभाग का संचालन किया गया। ध्यान देने योग्य है कि नगर निगम गाजियाबाद में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति अप्रैल 2015 के बाद जनवरी 2017 में की गई। मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अतिरिक्त लेखा परीक्षक डॉ रजिया बेगम, दिनांक 04.07.2019 से विभाग में कार्यरत हैं।

अनिर्णीत आपत्तियांः–

नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम–76 के अनुसार सम्परीक्षा विभाग द्वारा लिखे गये आपत्ति विवरण पत्र विभागाधिकारियों द्वारा प्राप्त करने पर अधिक से अधिक 15 दिन के अन्दर उत्तर सहित उनके अपने हस्ताक्षरों से वापस कर देना आवश्यक है, किन्तु अधिकांश विभागाधिकारियों पर इस नियम के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रभावी अंकुश न होने के कारण लेखाओं की सम्परीक्षा करने व कराने का सारा मन्तब्य ही विफल हो जाता है। वर्ष 2019–2020 में सम्परीक्षा द्वारा उठाई साधारण आपत्तियाँ–15

वित्तीय स्थिति–(2019–20)

सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार वर्ष 2019–20 की वित्तीय स्थिति निम्नवत थीः–

1–04–2019 को अथशेष (Opening Balance)		
(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	3,41,29,33,722.63
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	8,2159293.00
1–04–2019 का अथशेष योग		**3,49,50,93,015.63**
वर्ष 2019–2020 की आय		
(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	4,87,55,67,932.56
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	32,44,382.00
योग	:–	**4,87,88,12,314.56**
प्रारम्भिक अथशेष सहित कुल योग	:–	**8,37,39,05,330.19**
वर्ष 2019–20 में व्यय		
(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	4,83,14,83,620.00
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	शून्य
कुल योग व्यय	:–	**4,83,14,83,620.00**

31–03–2020 को इतिशेष गणनानुसार	:–	3,54,24,21,710.19
31–03–2020 को रोकड़बही के अनुसार	:–	3,54,24,21,710.19

(क) सामान्य रोकड़ बही	:–	3,45,70,18,035.19
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	8,54,03,675.00
कुल योग	:–	**3,54,24,21,710.19**

31–03–2020 को बैक विवरणं के अनुसार शेष– अज्ञात

टिप्पणीः–

1. बैक पासबुक सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही इसे प्रस्तुत करके जमा का सत्यापन कराया जाये।
2. बैक समाधान विवरण बनाकर (अन्तर यदि हो) सत्यापन कराया जाये।

राजस्व वसूली

राजस्व विभाग की पुस्तिका के अनुसार (2019–20)	–	1,37,05,01,935
मासिक लेखा के अनुसार (मार्च 2020)	–	1,12,77,12,613.83
		24,27,89,321.17

राजस्व कर की वसूली की जाँच में पाई गई अनियमितताः–

सम्परीक्षा में प्रस्तुत मासिक लेखा विवरण (आय व्यय) की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 में गृहकर जलकर एवं सीवर कर की निम्नलिखित वसूली हुई थी

गृहकर	–	57,90,25,799.85
जलकर	–	36,98,98,441.49
सीवर कर	–	17,87,88,372.49
योग	–	**1,12,77,12,613.83**

गृहकर/राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के अनुसार

समस्त जोन की कुल वसूली(2019–2020)	–	1,37,05,01,935
अन्तर	–	**24,27,89,321.17**

अतः अभिलेखो से आँकड़ो की पुष्टि कराई जाए तथा अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इसे शुद्ध करके सत्यापन कराया जाए।

सम्परीक्षा में बार–बार मांग किये जाने पर भी 1 अप्रैल 2019 को कुल बकाया का विवरण नही प्रस्तुत किया गया था इसे प्रस्तुत किया जाए तथा वर्ष 2019–2020 की कुल मांग का सत्यापन कराया जाए।

वर्ष 2019–20 में अनुमान से कम आय–(बजट के अनुसार)

2019-2020	में अनुमानित आय	6,895,650,000
2019-2020	में वास्तविक आय	4,87,88,12,315
अनुमान से कम आय		**2,016,837,685**

बजट अनुमान से कम आय प्राप्त किया जाना अनियमित है कारण स्पष्ट किया जाय।

सम्परीक्षा में पाई गई आपत्तियों का विवरणः–

1. विभिन्न करों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही न करने से राजस्व की क्षतिः–

आलोच्य वर्ष 2019–20 में राजस्व करों की वसूली का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	कर का विवरण	बजट के अनुसार अनुमानित आय	वर्ष 2019–20 की वास्तविक आय	कम आय	कमी का प्रतिशत
1	गृहकर	75,00,00,000	57,90,25,800	17,09,74,200	22.80%
2	जलकर	45,00,00,000	36,98,98,441	8,01,01,559	17.80%
3	सीवरकर	25,00,00,000	17,87,88,372	7,12,11,628	28.48%
4	विज्ञापन कर	10,00,00,000	5,16,31,565	4,83,68,435	48.37%
5	प्रेक्षा कर	20,00,000	11,60,320	8,39,680	41.98%

टिप्पणीः–

1. समस्त जोन की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत करके गृह कर, जल कर, एवं सीवर कर की मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।
2. कर निर्धारण सूची प्रस्तुत करके उपर्युक्त मांग का सत्यापन कराया जाए।
3. उपर्युक्त विवरण के अनुसार वसूली की स्थिति अत्यन्त ही कम है। इसके बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाए।
4. लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी स्पष्ट किया जाए।
5. नगर निगम सीमा में कुल कितने प्रेक्षा गृह है। वर्ष 2019–2020 में उनसे प्राप्त आय की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत की जाए।
6. विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों की नाम परिवर्तन पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

2. लाइसेंस का नवीनीकरण न करने/लाइसेंस न बनाने से आर्थिक क्षतिः–

आलोच्य वर्ष 2019–20 में लाइसेंस की अनुमानित एवं वास्तविक आय का विवरण निम्नवत था।

क्र0सं0	लाइसेंस का विवरण	वर्ष 2019 में अनुमानित आय	वास्तविक आय (2019–20)	कम आय	कमी का प्रतिशत
1	सामान्य लाइसेंस	1,50,00,000	96,83,523	53,16,477	35.44%
2	स्वास्थ्य लाइसेंस	15,00,000	8,62,429	6,37,571	42.50%

टिप्पणीः–

1. लाइसेंस पंजी प्रस्तुत करके वर्ष 2019–20 में बने लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन कराया जाए।
2. लाइसेंस की वसूली की स्थिति अत्यन्त कम है इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से भी सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।
3. लाइसेंस से सम्बन्धित बाय लाज (उप विधि) प्रस्तुत करके विभिन्न मदों के लाइसेंस बनाने या न बनाने की स्थिति स्पष्ट करें।

. पार्किंग की समुचित वसूली न करने से आर्थिक क्षतिः–

1. आलोच्य वर्ष में बजट में रू0 5,00,00,000/– की अनुमानित आय के सापेक्ष वास्तविक आय रू 1,17,24,823 प्राप्त हुई। इस प्रकार रू0 3,82,75,177/– कम आय हुई है। 76.55% कम आय हुई। यह स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है तथा निगम के आर्थिक हितों के विरूद्ध है।
2. 01.04.2019 से 31.03.2020 तक दिये गये पार्किंग का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
3. उन स्थानों का विवरण जहां 31.03.2019 तक पार्किंग थी परन्तु 01.04.2019 से 31.03.2020 तक पार्किंग नही दी गई है। कारण स्पष्ट किया जाए तथा कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया जाए।

0सं0	मद का नाम	वर्ष 2019–20 में अनुमानित आय	वर्ष 2019–20 की वास्तविक आय	आय में कमी	कमी. का प्रतिशत
1	भवन एवं दुकान	7,00,00,000.00	1,11,20,456.00	58,87,95,44	84.11%
2	अस्थायी प्रयोग भूमि	45,00,000.00	32,23,631.72	12,76,368.28	28.36%
3	तरणताल	60,00,000.00	0	60,00,000.00	100%

प्पणीः–

1. दुकानों के नवीनीकरण से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया जाए।
2. भवन एव दुकानों की सम्पत्ति पंजी प्रस्तुत करके उनके आबंटन तथा किराया का सत्यापन कराया जाए।
3. आवासीय भवनों के आबंटन का विवरण प्रस्तुत किया जाए साथ ही नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के आबंटन का विवरण तथा उनसे वसूल किये गये किरायों का सत्यापन कराया जाए।

4. जो कर्मचारी/अधिकारी नगर निगम से सेवानिवृत्त हो गए अथवा नगर निगम में कार्यरत नहीं हैं और उन्हे भवन आवंटित किया गया है, का विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा उनके किराये की मांग वसूली तथा बकाया का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
5. उपर्युक्त विवरण के अनुसार तरणताल से कोई आय नही प्राप्त हुई है जबकि बजट अनुमान के अनुसार रू0 60,00,000 का प्रावधान था, कोई आय प्राप्त न होने का कारण स्पष्ट किया जाए।
6. नगर निगम सीमांतर्गत कुल कितने तरणताल है उन पर 31 मार्च 2019 तक कितना व्यय किया गया है। साथ ही 01.04.2019 से 31.03.2020 तक कितना व्यय हुआ। विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
7. भूमि के किराये एवं सामुदायिक केन्द्रो से होने वाली आय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं आय पुस्तिकायें सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाएं।
8. मेले, हाट प्रदर्शनी से आय बजट के अनुसार रू0 1,00,000 अनुमानित थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–2020 में कोई आय प्राप्त नही हुई है जो नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

. गत वर्ष की तुलना में निम्नलिखित मदों पर कम आय होने से आर्थिक क्षति–

क्र0सं0	पद	वास्तविक आय (2018–2019)	वास्तविक आय(2019–2020)	कम आय
1	लाईसेन्स	1,14,48,365	1,05,45,952	9,02,413
2	ठेका	2,27,25,591	1,19,68,313	1,07,57,278
3	जलकर	39,11,57,368	36,98,98,441	2,12,58,927
4	सीवर कर	19,37,48,049	17,87,88,372	1,49,59,677
5	प्रेक्षाकर	17,04,693	11,60,320	5,44,373
6	सामान्य	1,13,68,863	96,83,523	16,85,340
	योग			**5,01,08,008**

टिप्पणीः–

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण रू0 5,01,08,008 की आर्थिक क्षति हुई समुचित स्पष्टीकरण के अभाव में उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं इसकी प्रतिपूर्ति भी उत्तरदायी व्यक्ति से कराई जाए।

5. <u>पाइपलाइन मरम्मत के सत्यापनार्थ वांछितः–</u>

अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए। आलोच्य वर्ष 2019–2020 पाईपलाइन की मरम्मत हेतु रू0 1,31,62,900 का व्यय हुआ है। इसके साथ ही नई पाइपलाइन पर रू0 7770900 का व्यय हुआ। इस सम्बन्ध में वर्ष 2019–2020 में कितनी पाईपलाइन कहाँ कहाँ लगाई गई है। इसका मानचित्र तथा विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही 01–04–2019 तक कितनी पाईलाइन थी तथा वर्ष 2019–2020 में कितनी पाईपलाइन डाली गई। तथा 31 मार्च 2020 को कहाँ कहाँ कितनी पाईपलाइन है मानचित्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

6. <u>भूखण्ड, दुकान प्रीमियम तरणताल व कांजी हाउस से आय शून्यः–</u>

लगातार दो वित्तीय वर्षों वर्ष(2018–2019) व वर्ष (2019–2020) में भवन एवं भूखण्ड, दुकान प्रीमियम तरणताल, कांजी हाउस, से कोई आय नहीं हो रही है। जो नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है अतः नगर निगम प्रशासन को इस सन्दर्भ में कोई नीति निर्मित कर इन्हे नीलामी के माध्यम से आय के उपाय करने चाहिए ताकि नगर निगम कोष में वृद्धि हो।

7. <u>सीवर व्यवस्था पर व्यय रू0 78958404 के सत्यापनार्थ अभिलेख वांछितः–</u>

वर्ष 2019–2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट रू0 35187500 के संचालन पर खर्च हुआ। नगर निगम सीमा में कितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसका विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए साथ ही स्पष्ट किया जाए उनका संचालन किस तरह किया जा रहा है। साथ ही सीवर व्यवस्था पर व्यय रू0 78958404 का विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

8. <u>गंगाजल पेय योजना पर व्यय अकंन रू0 1,50,00,000 से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः–</u>

वर्ष 2019–2020 में गंगाजल पेय योजना पर रू0 1,50,00,000 का व्यय किया गया है वर्ष 2019–2020 में कितने लोगों को जल वितरण की व्यवस्था की गई है। विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

9. <u>13 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग न किया जानाः–</u>

बजट 2020–2021 के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019–2020 में 13 वें वित्त आयोग से रू0 23771584 व्यय किया गया था तथा वर्ष 2019–2020 में 6,20,00,000 का बजट प्रावधान था जबकि वर्ष 2018–2019 में 13वें वित्त से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–2019 में वास्तविक प्रस्तावित धनराशि 3 करोड़ थी इसके बावजूद भी 2019–2020 में किस आधार पर रू0 6,20,00,000 प्रस्तावित किया गया था। औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में पूर्व वर्षों के अनुदानों की अवशेष राशि को सही सही दर्शाना सुनिश्चित किया जाए।

10. अनुदान पंजी का समुचित अनुरक्षण न किया जानाः–

अनुदान पंजी समुचित ढंग से अनुरक्षित नही की गई थी। नियमानुसार अनुदानवार आय तथा व्यय का विवरण अंकित करके 31 मार्च को अवशेष अनुदानों का विवरण अनुदान पंजी में अंकित किया जाए उसी आधार पर आगामी वर्ष के बजट में भी अनुदान अंकित किया जाए।

11. अनावर्तक अनुदानः–

31 मार्च 2020 को अत्यधिक मात्रा में **अनावर्तक अनुदान** उपभोग हेतु अवशेष है। इसकी समय वृद्धि कराकर ही उपभोग किया जाए अन्यथा आवश्यक कार्यवाही करके इसे सत्यापित कर वापिस किया जाए।

12. नगर निगम को प्राप्त ऋण को वापिस न किया जाना अनियमितः–

सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2020 को संलग्न विवरण अनुसार रू0 186827600 ऋण प्रतिदान हेतु अवशेष था। उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षों से किसी भी ऋण का प्रतिदान नही किया गया है और न ही 2020–21 में प्रावधान किया गया है, कारण स्पष्ट किया जाए। शासन से पत्र व्यवहार करके इसे माफ कराया जाए अन्यथा शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करके सत्यापन कराया जाए।

13. वाहन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से समुचित जाँच नहीं की जा सकी।

1. सम्परीक्षा में बार–बार मांग किये जाने पर भी निम्नलिखित विवरण जांच हेतु प्रस्तुत नही किये गये है इसे आवश्यक जांच हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

1. **पत्रावली पर रूटचार्ट उपलब्ध नहीं हैं।**
2. **वाहनो का औसत ईधन खपत अंकित नहीं है।**
3. **यह भी स्पष्ट नही हैं कि कौन सा वाहन प्रतिदिन कितनी दूरी तय करता है।**
4. **पत्रावली पर ड्राइवर द्वारा प्राप्त किये गये डीजल की रिसीविगं नही थी।**
5. **जी.पी.एस मोनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त रिकंसीलेशन भी पत्रावली पर संलग्न नही है। इसे संलग्न किया जाए।**

सम्परीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त पत्रजात डीजल पेट्रोल के व्यय देयको से सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न नही किये जा रहे हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

4. अंग्रिम पंजी अप्रस्तुतः–

सम्परीक्षा में बार–बार मांग किये जाने पर भी अग्रिम पंजी नही प्रस्तुत की गई। इसे आवश्यक जांच हेतु शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

5. हाइड्रोलिक ऑयल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2010 से टेंडर का न किया जानाः–

स्वास्थ्य विभाग में हाइडोलिक ऑयल की आपूर्ति वर्ष 2010–11 से मै0 राजट्रेडिंग कम्पनी से लगातार ली जा रही है जो वर्तमान तक चालू है। इसके लिए कब टेंडर/निविदाये आयोजित की गई थी? इससे संबंधित कोई भी अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं है, लगभग लगातार 10 वर्षों से एक ही फर्म से हाइड्रोलिक ऑयल का क्रय किया जाना सम्परीक्षा की दृष्टि से अनियमित है। इसे क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाए ताकि नगर निगम को प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल सके।

6. नगर परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण न बनाया जानाः–

31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगम के विभिन्न विभागों का नगर परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नही बनाया गया। इसे बनाकर प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न विभागवार परिसम्पत्ति एवं दायित्व का ब्यौरा तैयार कर सत्यापन कराया जाए। अर्थात निगम की लेनदारी एवं देनदारी का समुचित विवरण तैयार किया जाए।

7. विज्ञापन करः–

1. बजट 2019–20 में विज्ञापन कर से आय रू0 10,00,00,000 अनुमानित थी किन्तु रू0 3,49,81,614/– मात्र आय प्राप्त हुई। इस प्रकार 34.98% कम आय प्राप्त होना नगर निगम के आर्थिक हितो के विपरीत है।
2. गाजियाबाद शहर में विज्ञापन हेतु कौन–कौन सी ऐजेंसिया अधिकृत हैं। इन एजेंसियों के साथ हुए अनुबन्ध एव बाय लाज सहित पत्रावलियां सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत करायी जाएं।

18. बी0.ओ.टीः–

1. बी.ओ.टी से सम्बन्धित बाय लाज एवं पत्रावलियां प्रस्तुत की जाएं।
2. वर्ष 2019–2020 में बी.ओ.टी से कितनी आय प्राप्त हुई, विवरण प्रस्तुत कराया जाए।

19. जल संयोजन से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः–

1. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कहाँ–2 जल संयोजन है तथा 31.03.2019 तक कहां–कहां जल संयोजन था और 01.04.2019 से 31.03.2020 तक कितने जल संयोजन की वृद्धि हुई विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
2. नगर निगम सीमा में बहुमंजली भवनों में कहाँ–2 जल संयोजन है विवरण प्रस्तुत कर मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।

20. यूजर चार्जेजः–

1. यूजर चार्जेज से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः–

a) आलोच्य वर्ष में रू0 10,00,00,000 का बजट प्रावधान था। किन्तु वास्तविक वसूली मात्र रू0 1,61,87,789/– की हुई थी इस प्रकार कुल वसूली का प्रतिशत मात्र 16.19% था। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। इसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वसूली बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

b) यूजर चार्जेज की दर तथा मांग वसूली पंजी प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

21. चालू खाते में निधि का संधारण करने से ब्याज की क्षतिः–

1. उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक ए –1 –122/दस – 2012 –10 (33) /2010 वित्त लेखा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार किसी संस्था/संगठन/निकाय को किसी भी प्रकार की निधि को बैकों के चालू खाते में नही रखना है। बैकों में निधियों का संचालन करना है तो बचत खाता (Saving Account) खोलकर उसमें निधि जमा की जायेगी।
2. सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा निगम परिसर एवं वसुंधरा तथा पंजाब नेशनल बैंक शाखा वसुंधरा सूर्य नगर एवं विजय नगर में चालू खाता (Current Account) में धनराशि रखी गयी थी। शासनादेशानुसार बचत खाता (Saving Account) में धनराशि रखना सुनिश्चित किया जाए।

22. अवस्थापना निधिः–

अवस्थापना निधि से कराये गये कार्यों में शासनादेशानुसार 60% उन मदों पर किया जाना चाहिए जिनसे आय होती हो। स्पष्ट किया जाए कि आय आलोच्य वर्षों में कितनी हुई? विवरण प्रस्तुत किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में सम्परीक्षा द्वारा उठाई साधारण आपत्तियों का विवरणः–

23. निर्माण विभाग

1. माह 01.04.2019 से 30.09.2019 तक के निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु।

1. रोड रजिस्टर
2. विभिन्न टाइल्स के कार्यो से सम्बन्धित टाइल टेस्टिंग रिपोर्ट पत्रावली सहित।
3. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने कार्य कोटेशन के आधार पर कराये गये (कार्य का नाम धनराशि सहित)।
4. 5,00,000रू0 तक की सीमा के अन्तर्गत कितने कार्य कराये गये है (कार्य का नाम धनराशि सहित)।

5. 5,00,000 रू0 से 10,00,000 रू0 तक कितने कार्य कराये गये है।(कार्य का नाम विवरण सहित)
6. 31 मार्च 2019 तक कितने कार्य पूर्ण होने थे, परन्तु 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण रहे। (विवरण कारण सहित दिया जाये)।
7. 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि के कार्य कराये गये तथा इनमें से 31 मार्च 2019 तक कितने अपूर्ण है। तथा अपूर्ण होने का कारण भी उल्लेख करें।
8. ठेकेदारों का पंजीकरण रजिस्टर भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
9. परफोर्मेंस गारंटी का विधिवत रूप से जमा अथवा जमा न होने का विवरण कारण सहित।
10. जमानत पंजी (01.04.2018 से 31.03.2019 की जमा की स्थिति)

2. माह 01.04.2019 से 30.09.2019 तक के निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु।

1. विभिन्न टाइल्स के कार्यो से सम्बन्धित टाइल टेस्टिंग रिपोर्ट पत्रावली सहित।
2. 5,00,000 रू0 से 10,00,000 रू0 तक कितने कार्य कराये गये है। (कार्य का नाम विवरण सहित)
3. 01.04.2019 से 30.09.2019 तक कितने कार्य पूर्ण होने थे, परन्तु 30.09.2019 तक अपूर्ण रहे। (विवरण कारण सहित दिया जाये)।
4. ठेकेदारों का पंजीकरण रजिस्टर भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
5. परफोर्मेंस गारंटी का विधिवत रूप से जमा अथवा जमा न होने का विवरण कारण सहित।
6. जमानत पंजी (30.09.2019 तक जमा की स्थिति)।

3. माह 01.04.2019 से 30.09.2019 तक के निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु।

1. रोड़ कटिंग व मलबा शुल्क से प्राप्त आय का विवरण तथा जांच हेतु प्रपत्र की रसीदे भी उपलब्ध करायी जायें।
2. अवस्थापना निधि में 01.04.2019 से 30.09.2019 तक कुल कितना व्यय किया गया है उसमें शासनादेशानुसार लाभकारी मद तथा अलाभकारी मद पर कितना कितना व्यय किया गया है। सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें।
3. रोड़ रजिस्टर
4. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने कार्य कोटेशन के आधार पर कराये गये (कार्य का नाम धनराशि सहित)।
5. 5,00,000रू0 तक की सीमा के अन्तर्गत कितने कार्य कराये गये है (कार्य का नाम धनराशि सहित)।

6. 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि के कार्य कराये गये तथा इनमें से 30.09.2019 तक कितने अपूर्ण है। तथा अपूर्ण होने का कारण भी उल्लेख करें।

24. स्वास्थ्य विभाग

1. 01.04.2019 से 30.09.2019 तक की अवधि से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु।

1. स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी(दैनिक वेतन, संविदा, ठेके तथा वेतनमान) के कुल कितने कर्मचारी(पद नाम तथा वेतनमान सहित) विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने वाहन है (नाम तथा श्रेणीवार विवरण)
3. वाहनों की लागबुक/रनिंग रजिस्टर
4. स्थाई/अस्थाई सामग्री की भंडार पंजी
5. दिन–रात सफाई किन–किन क्षेत्रों में की जा रही है उनकी पत्रावली (01.04.2019 से 30.09. 2019 तक)।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु।

1. 31 मार्च 2018 तक कुल कितने वाहन थे (क्रय वर्ष मेक नम्बर सहित)?
2. 01.04.2018 से 31 मार्च 2019 तक कुल कितने वाहन क्रय किये गये (मेक नम्बर सहित)?
3. वर्ष 2018–2019 में कितने डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग किया गया?
4. 31 मार्च 2019 तक कितने वाहन प्रयोज्य है तथा कितने निष्प्रोज्य हैं?
5. प्रत्येक वाहन का ईधन खपत का औसत (Average) क्या है?
6. नगर निगम में कुल कितने डस्टबिन हैं तथा वे नगर में कहॉ–कहॉ रखे गये हैं?
7. टूल्स एवं प्लांट्स का रजिस्टर तथा स्थायी सामग्री भंडार पंजी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये?
8. कुल कितने सफाई कर्मी हैं, स्थायी एवं अस्थायी दैनिक वेतन तथा ठेके पर का विवरण अलग–2 दिया जाये?
9. ई.एस.आई बीमा पी.एफ. आदि के जमा की क्या स्थिति हैं? अवलोकनार्थ रजिस्टर प्रस्तुत किया जाये?

25. जलकल विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने हेतु।

1. जमानत पंजी (01.04.2018 से 31.03.2019) की जमा की स्थिति।
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कितने कार्य कोटेशन के आधार पर कराये गये।(कार्य का नाम धनराशि सहित)
3. 50,00,000 तक की सीमा के अन्तर्गत कितने कार्य कराये गये हैं (कार्य का नाम धनराशि सहित)।

4. 31 मार्च 2019 तक कितने कार्य पूर्ण होने थे परन्तु 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण रहे (विवरण कारण सहित दिया जाये)।
5. 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से कितनी धनराशि के कार्य कराये गये तथा इनमें से 31 मार्च 2019 तक कितने अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण होने का कारण भी उल्लेख करें।
6. ठेकेदारों का पंजीकरण रजिस्टर भी अवलोकनार्थ पस्तुत करें।
7. 01–04–2018 तक सम्पूर्ण नगर में कितनी जल पाईपलाइन डाली गयी थीं तथा वर्ष 2018–19 में कितनी पाईपलाइन डाली गयीं। इसका मानचित्र भी प्रस्तुत किया जाये।
8. 31 मार्च 2018 तक नगर में कुल कितने हैण्डपम्प थे तथा वर्ष 2018–19 में कितने पम्प और लगवाये गये विवरण सहित उपलब्ध कराया जाये।
9. 31 मार्च 2018 तक कितने नलकूप थे तथा वर्ष 2018–19 में कितने नलकूप लगवाये गये।
10. वर्ष 31 मार्च 2018 तक कुल कितने सबमर्सिबल पम्प थे तथा वर्ष 2018–19 में कितने सबमर्सिबल पम्प लगवाये गये, विवरण प्रस्तुत किया जाये।
11. 31 मार्च 2018 तक कितनी सीवर लाइन तथा वर्ष 2018–19 में कितनी सीवर पाईप लाइन डाली गयीं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विवरण शीघ्र देने का कष्ट करें।

26. सम्पत्ति विभाग

1. सम्पत्ति विभाग की आय से संबंधित समस्त अभिलेख सम्परीक्षा में उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

सम्पत्ति विभाग द्वारा विभिन्न मदों यथा पार्किंग शुल्क, भूमि के पट्टे से आय, भवन शुल्क, दुकान किराया व नामान्तरण तथा विज्ञापन (BOT) इत्यादि से प्राप्त आय को नगर निगम कोष में जमा किया जाता है किन्तु विभाग द्वारा किसी भी अभिलेख की सम्परीक्षा नही कराई जा रही है जिससे नियमानुसार वसूली एवं नगर निगम कोष में जमा कराने में अनियमितता की संभावना बनी हुई है तथा नगर निगम को आर्थिक क्षति हो सकती है। अग्रेत्तर उत्तर प्रदेश महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में वर्णित निर्देशानुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के समस्त अभिलेख (आय पुस्तिकाऐं, विभागीय रोकड़वही, संबंधित वाईलाज आदि) सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि लेखा नियमावली के अनुसार सम्परीक्षा सम्पन्न करते हुए प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकें।

27. लेखा विभाग

1. आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु।

निम्नलिखित अभिलेख नियमित रूप से सम्परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत नही किये जा रहे है।

1. नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–75 के अनुसार रोकड़बही की प्रतिदिन जाँच की जानी चाहिए। 01 अप्रैल 2019 से इसका पालन नही किया जा रहा है। इसे आवश्यक जाँच हेतु प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. वर्गीकृत सारपंजी तथा मासिक लेखा भी जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया जा रहा है। इसे सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुदानित आय एवं व्यय का मासिक विवरण भी प्रस्तुत नही किया जा रहा है। इसे सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. नगर निगम में श्रमिक आपूर्ति हेतु भुगतान की गयी धनराशि में से श्रमिकों का ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 की धनराशि जमा करने की सूचना देने हेतु।

नगर निगम द्वारा आपको श्रमिक आपूर्ति का ठेका दिया गया है। इसके सापेक्ष श्रमिक को भुगतान की गयी धनराशि के साथ–साथ उनके खाते में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 खातें में जमा करने हेतु धनराशि आपको दी गयी थी, लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित विवरण देने का कष्ट करें।

1. श्रमिक आपूर्ति हेतु नगर निगम द्वारा कब से अनुबन्ध किया गया है।
2. प्रतिमाह श्रमिक आपूर्ति का विवरण, पद नाम, मासिक भुगतान की गयी धनराशि (प्रारम्भ से अब तक)।
3. श्रमिक के खाते में ई0पी0एफ0 जमा हेतु धनराशि व चालान सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाए।

श्रमिक का नाम	माह	जमा हेतु प्राप्त धनराशि	जमा का विवरण

4. श्रमिकों का ई0एस0आई0 हेतु प्राप्त धनराशि एवं जमा धनराशि (माह वार विवरण)।

28. लेखा नियमावली की अवहेलनाः–

सम्परीक्षा के मध्य लेखा नियमों की अवहेलना के अनेकानेक प्रकरण प्रकाश में आते है। इसमें से कुछ बाते निम्न प्रकार हैः–

1. विभागों द्वारा देयक पंजी का अनुरक्षण न किया जानाः–

लेखा नियम–38 (1) के अनुसार प्रत्येक विभाग में समस्त प्राप्त होने वाले देयकों को देयक पंजी (प्रपत्र संख्या–25) में प्रविष्ट किया जाना चाहिए तथा उस पर यह अंकित किया जाना चाहिए कि देयक कब प्राप्त हुआ, तथा वह लेखा विभाग में कब भेजा गया तथा उस

का कब भुगतान हुआ ? साथ ही में प्रमाणक संख्या व तिथि भी अंकित की जानी चाहिए। परन्तु यह देयक पंजी विभागों द्वारा सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। इससे स्पष्ट होता है कि सभी विभागों द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में लेखाधिकारी के समक्ष अपने विभाग से सम्बन्धित ऐसी सभी मदों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो पूर्ववर्ती मास के अन्त में शेष रह गयी। इस प्रकार का विवरण किसी विभाग द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में लेखाधिकारी के समक्ष नहीं रखे जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. अस्थायी अग्रिम का तीन मास के अन्दर समायोजन न कराया जानाः–

लेखा नियमावली के नियम–5 (4) के अन्तर्गत प्रत्येक अस्थायी अग्रिम का समायोजन तीन माह के अन्दर अवश्य ही करा दिया जाना चाहिए। महापालिका के कई विभागों द्वारा पर्याप्त मात्रा में धनराशि अस्थायी अग्रिम के माध्यम से प्राप्त करके व्यय की जाती है तथा उन अग्रिमों का समायोजन तीन मास के अन्दर नहीं कराया जाता। इसके अतिरिक्त लेखा विभाग द्वारा अस्थायी अग्रिम पंजिका में उन अग्रिमों की अधिकांश प्रविष्टि भी नहीं की जाती लेखा नियम–5ग (4) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतिम अवशेष विषयक अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध न कराया जानाः–

लेखा नियमावली के नियम 58(3) के अनुपालन में माह मार्च 2020 का अन्तिम अवशेष वित्तीय वर्ष 2019–20 मार्च माह के अन्तिम कार्यदिवस के आगामी दिन 5:00 बजे अपरान्ह तक सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया ज़ाना था। इसके अनुपालन में लेखा विभाग द्वारा केवल अन्तिम अवशेष अवलोकित कराया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा हेतु निम्न अभिलेख सम्परीक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे जो कि उपलब्ध नहीं कराये गये। विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. दिनांक 31.03.2020 की सामान्य रोकड़ वही (पुनः अवलोकनार्थ एवंम पुष्टि हेतु)
2. 31.03.2020 तक की बैक पासबुक प्रविष्टियाँ/समाधान विवरणों सहित
3. 31.03.2020 को नगर निगम गाजियाबाद की समस्त देनदारियों का पूर्ण विवरण (लिस्ट आफ लाइविलटीज) इत्यादि।

4. वेतनमान पंजियों का विधिवत अनुरक्षित न किया जानाः–

यह सामान्य रूप से पाया गया कि वेतनमान पंजियो का अनुरक्षण नियमानुसार विधिवत नहीं किया जाता। उन पंजियों को प्रति वर्ष बदल दिया जाता है, ओर नई पंजियों में समस्त अभिलेख पुनः उतार कर लाये जाते हैं। यह पद्वति त्रुटिपूर्ण है। नियमानुसार वेतनमान पंजियों प्रति वर्ष नहीं बदली जानी चाहिए, बल्कि एक ही पंजी में प्रतिवर्ष प्रविष्टियां की जानी चाहिए। यही अपने में पूर्ण पद्धति है।

5. <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अभिलेखों का अनुरक्षण असंतोषजनक ढ़ग से किया जानाः–</u>

नगर निगम में यह सामान्य रूप से पाया गया कि अधिष्ठान सम्बन्धी अभिलेख विशेष कर कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का अनुरक्षण संतोषजनक ढ़ग से नहीं होता। पत्रावलियों के कवर एवं कागज पत्र फटी दशा में पाये जाते हैं, अवकाश लेखे सेवा पुस्तिका में निर्धारण प्रपत्र नहीं पायें जाते। सेवा निवृत्ति के समय नगदीकरण अवकाश की सुविधा दिये जाने के पश्चात् व्यक्तिगत पत्रावलियों के अवकाश सम्बन्धी कागज–पत्रों का उचित एवं संतोषजनक ढ़ग से अनुरक्षित किया जाना ओर भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

6. <u>निर्माण कार्यो में अत्यधिक विचलन किया जानाः–</u>

नगर निगम के अभियन्त्रण विभाग द्वारा सामान्य रूप से निर्माण कार्यो में प्रायः मूल अनुमानों से कई–कई गुना अधिक धनराशि का विचलन किया जाता है, जो निर्माण कार्य सम्बन्धी मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। नियमानुसार विचलन की स्थिति में पुनः अनुमान बनाकर पुनः निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए, किन्तु ऐसा न करके उसी ठेकेदार से विचलित कार्यो को सम्पन्न कराया जाता है। ऐसी स्थिति में स्वतः ठेकेदार लाभ की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और नगर निगम को प्रतियोगी दरों एवं अधिक उत्पादन के लाभ से वंचित हो जाना पड़ता हैं। इस प्रक्रिया को निरूत्साहित किये जाने की ओर विशेष ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

7. <u>नगर निगम भण्डारों में (सामान्य निर्माण, विधुत स्वास्थ्य, कर्मशाला इत्यादि) सामानों का विधिवत क्रय न किया जानाः–</u>

नियमानुसार प्रत्येक विभाग की वार्षिक आवश्यकता का आकलन करके वर्ष के प्रारम्भ में पर्याप्त पूर्ण आपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए, जिससे वर्ष के प्रारम्भ में सामान की आपूर्ति विधिवत प्राप्त हो सके, परन्तु सामान्य रूप से यह पाया गया कि नगर निगम में आपूर्ति सम्बन्धी नियम का अनुपालन नहीं किया जाता। वर्ष के प्रारम्भ हो जाने के बाद किन्ही–किन्ही प्रकरणों में वर्ष के कई–कई महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात् सामानो की क्रय सम्बनधी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है परिणामस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर पिछले वर्ष के आपूर्ति कर्ता से उन्हीं वर्ष की दरों पर चालू वर्ष में आपूर्ति आवश्यकतानुसार प्राप्त की जाती हैं। यह प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं है। इसमें संस्था नवीन प्रतियोगी दरे प्राप्त न हाने से आपूर्ति कर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के हित के मूल्य पर लाभ पहुंचाने की स्थिति विद्यमान रहती है।

8. अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में नियमों की अवहेलना:–

नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–32 व 33 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निगम की पुरानी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति शुल्क से होने वाली आय नहीं प्राप्त हो पाती। इस बिन्दु पर प्रशासन का समुचित ध्यान अपेक्षित है।

9. मांग समाहरण पंजियों का योग न करना, शेष न निकालना तथा विभागीय अधिकारियो द्वारा जांच न किया जाना:–

नियमों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा मांग समाहरण पंजियों पर वर्ष के अन्त में जांच किये जाने के परिणाम स्वरूप प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। कर एवं नजूल विभाग की मांग समाहरण पंजियों का योग, शेष इत्यादि वर्षों से निकाला ही नहीं गया। इस स्थिति के कारण वास्तविक मांगों की गणना ठीक से नहीं पाती। इस ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है।

10. सामान्य रोकड़बही में देयकों का उपर्युक्त परिव्यय तथा उनके विकृत किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र का न दिया जाना:–

लेखा नियमावली के नियम–39 के अनुसार लेखा अधिकारी द्वारा सामान्य रोकड़बही में प्रत्येक मास के अन्त में यह प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अधिष्ठान के देयकों को छोड़ कर अन्य सभी देयकों का परीक्षण कर यह समाधान कर लिया है कि परिव्यय उपर्युक्त रूप से प्रमाणित है तथा प्रमाणक तथा उप प्रमाणक इस प्रकार विकृत कर दिये गये है कि अन्य देयकों के समर्थन में उनके प्रयोग किये जाने की सम्भावना नहीं रह गयीं है, किन्तु इस नगर निगम में इस नियम का पालन नहीं किया जाता।

11. विभागों के भण्डार पुस्तिकाओं को नियमानुकूल अनुरक्षण न किया जाना:–

यह सामान्य रूप से देखने में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा विधिवत अनुरक्षण नहीं किया जाता उनमें कई न्यूनतायें बनी रहती है या तो उसके सभी स्तम्भ भरे नहीं जाते या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नही प्राप्त किये जाते या वस्तुओं का निर्गम नहीं दर्शाया जाता, जिससे शेष की जांच नही हो पाती या पिछले वर्ष के शेषों को अगले वर्ष में अग्रसारित नहीं किया जाता।

12. अभियन्त्रण विभाग द्वारा रोड रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना:–

निगम के अभियन्त्रण विभाग द्वारा सामान्य रूप से शहर में उन सभी सड़को से सम्बन्धित रोड रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाना चाहिए ताकि एक दृष्टि में उन सभी सड़को के रखरखाव से सम्बन्धित व्यय एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके, परन्तु निगम में ऐसा किया गया नहीं पाया गया।

13. प्रकाश विभाग द्वारा ट्रैफिक सिगनल रजिस्टर एवं स्ट्रीटलाईट रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना:-

निगम में प्रकाश विभाग द्वारा नगर में लगाये गये ट्रैफिक सिगनल के रखरखाव के सम्बन्ध में कोई पर्सनल लेजर (हिस्ट्री बुक) एवं शहर में लगाये गये स्ट्रीट लाईट से सम्बन्धित पर्सनल लेजर (हिस्ट्री बुक) का अनुरक्षण नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि शहर में कुल कितने ट्रैफिक सिगनल एवं स्ट्रीट लाईट लगी है, उन्हें कब-कब लगाया गया है ओर उन पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया जा रहा है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

14. करों की वसूली हेतु बिल नोटिस तथा अभिहरण और कुर्की के वारंट जारी न किया जाना:-

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा-506, 507, 512 एवं 513 के प्रावधानों के अनुसार तथा लेखा नियमावली के नियम-25 के अन्तर्गत कर दाताओं से बकाये करों की वसूली हेतु प्रपत्र संख्या 19, 20, 20क और 21 क पर कुर्की के वारंट आदि की कार्यवाही न किये जाने से बकाया करों की वसूली नही हो सकी। अतएवं ऐसी कार्यावाही की जानी चाहिए जिससे इस दिशा में पर्याप्त सुधार हो सके।

15. कार्यालय निरीक्षण पुस्तिका का अनुरक्षण न किया जाना:-

लेखा नियमावली के नियम-72 (1) के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी अथवा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार निगम के कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय में रखी गयी निरीक्षण पुस्तक में अभियुक्तियां लिखकर समय-समय पर कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए विभागों द्वारा कार्यालय निरीक्षण पुस्तिका का अनुरक्षण न किया जाना स्पष्टतः उक्त नियम की अवहेलना है।

गबन तथा हानि के प्रकरण:-

लेखा नियमावली के नियम-74 में यह प्रावधान है कि जब कभी निगम की निधि अथवा सम्पत्ति के गबन का पता चले अथवा उसका सन्देह हो तो मुख्य नगर अधिकारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त मुख्य नगर लेखा परीक्षक को देंगे। साथ ही मुख्य नगर अधिकारी जांच प्रारम्भ करायेंगे तथा यह विश्वास हो जोने पर कि गबन हुआ है जिला मजिस्ट्रेट को मामले की पत्रावली भेजकर उनसे पुलिस द्वारा नियमित अनुसंधान कराने के लिये अनुरोध करेंगे। मुख्य नगर अधिकारी गबन का पता चले अथवा उसका सन्देह होने के पश्चात् होने वाली कार्यवाही ओर (गबन) की जांच समाप्त हो जाने के पश्चात् होने वाली कार्यकारिणी समिति की पहली बैठकों में उक्त मामले को समिति के ध्यान में लायेंगे। जब मामले की पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें गबन की गयी कुल धनराशि गबन करने की नीति तथा उक्त धनराशि को वसूल करने और अपराधियों को दण्ड देने के लिये की गयी कार्यवाही सम्मिलित की जायेगी। आलोच्य अवधि में उपरोक्त किसी भी कार्यवाही से इस विभाग को अवगत नहीं कराया गया।

उपसंहार

अनुभव में आया है कि प्रायः विभागीय अधिकारी/कर्मचारीगण सम्परीक्षा कराने एवं आपत्तियों का निस्तारण कराने में घोर उदासीनता प्रदर्शित करते है, जिसके परिणाम स्वरूप न तो आय व्यय पक्ष की जाँच हो पाती है और न उठाई गई आपत्तियाँ ही निर्णीत हो पाती हैं फलस्वरूप जहां एक ओर सम्परीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण की आपत्तियाँ उठानी पडती है। वहीं दूसरी ओर सम्परीक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य स्वतः पुष्ट हो जाएगा कि अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण अपनी चरम सीमा पर है। चूंकि अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम की समस्त आय–व्यय की सम्परीक्षा सम्पादित की जानी होती है। अतः प्रशासन का दायित्व इस ओर और बढ़ जाता है कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे स्वतः दैनिक आय व व्यय एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख सम्परीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने एवं उसे प्रभावशाली बनाने हेतु दण्ड विधन बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अन्त में, मै नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवमं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा इस प्रतिवेदन के बनाने में दिये जाने वाले सहयोग के लिये उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ।

(अरूण कमार सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद